न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/05/2016	21.11.2016	03.07.2019

01. सुवालाल पुत्र झम्मनलाल यादव निवासी ग्राम चांदोली ग्राम पंचायत खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—निगरानीकार

बनाम

01. विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
02. विक्रम सिंह यादव पुत्र बनवारी लाल यादव निवासी ग्राम चांदोली ग्राम पंचायत खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आज्ञा विकास अधिकारी बानसूर दिनांक 23.28.2016

उपस्थितः—

01. श्री अजीत यादव —वकील निगरानीकार
02. श्री अनिल गुप्ता —वकील अनिगरानीकार नं0 1
03. श्री धोलाराम —वकील अनिगरानीकार नं0 2

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर के आदेश दिनांक 23.08.2016 जिसके द्वारा निगरानीकार को स्थाई व अस्थाई निर्माण कार्य नहीं करने बाबत पाबंद किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एक भूखण्ड पैमाईश पूर्व में 115 फुट, पश्चिम में 100 फुट, उत्तर में 83 फुट, दक्षिण में 84 फुट रकबा 8976.25 वर्गफुट है। जिसके पड़ोसी पूर्व में उमरावलाल, पश्चिम में हरफूल यादव, उत्तर में बाबूलाल यादव, दक्षिण में आम रास्ता ग्राम खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित है। जिसका पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.01.2006 को ग्राम पंचायत खेड़ा द्वारा नियमानुसार जारी किया गया था। जिस पट्टे निर्णय के खिलाफ अनिगरानीकार संख्या 2 ने अपील स्थाई समिति पंचायत समिति बानसूर के समक्ष पेश की। जिस पर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 23.08.2016 को स्थगन आदेश पारित कर निगरानीकार को पाबंद किया गया है। अनिगरानीकार नं0 2 ने अपनी अपील में यह तथ्य झूठा अंकित किया गया है कि उसको पट्टा निर्णय की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अनिगरानीकार संख्या 2 व निगरानीकार एक ही परिवार के है तथा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह निगरानीकार ने स्वंय अनिगरानीकार संख्या 2 के पिता से जरिये इकरारनामा खरीद की थी। इसलिए अनिगरानीकार संख्या 2 को पट्टा निर्णय की आरंभ से ही जानकारी थी। इसके बावजूद अनिगरानीकार संख्या 2 ने निगरानीकार की खरीद व पट्टाशुदा भूमि को हड़प करने के लिए पट्टे की जानकारी नहीं होने बाबत अपील 10 साल के लम्बे अरसे के बाद पेश की है। जो काबिले खारिज थी। लेकिन विकास अधिकारी द्वारा गौर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

नहीं किया गया। पट्टा निर्णय के आरंभ से जानकारी होने के बावजूद अनिगरानीकार संख्या 2 ने 10 साल की विलम्ब की अवधि के बाद अपील पेश की है। जिस देरी को माफ करने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा0पत्र भी पेश नहीं किया गया। जब अनिगरानीकार संख्या 2 ने देरी माफी का प्रा0पत्र ही पेश नहीं किया तो 10 साल देरी से पेश की गई अपील को विकास अधिकारी द्वारा अन्दर अवधि मानने की कानूनी भूल की है। पट्टा निर्णय की कार्यवाही में अनिगरानीकार संख्या 2 पक्षकार नहीं था। पट्टाशुदा भूमि में अनिगरानीकार संख्या 2 का किस प्रकार हित निहित है। यह भी अपील में दर्ज नहीं किया गया। ना ही पट्टा निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने के लिए धारा 96 सीपीसी के तहत प्रा0पत्र पेश किया। इस प्रकार अनिगरानीकार संख्या 2 को अपील करने का अधिकार नहीं था। विकास अधिकारी ने यह गौर नहीं करते हुए आलोच्य आदेश पारित कर दिये। निगरानीकार के हक में जारी पट्टा में दर्ज भूमि का पूर्व मालिक अनिगरानीकार संख्या 2 का पिता बनवारीलाल था। जिससे वह भूमि निगरानीकार ने रूप्ये 50000/– अदाकर व मौके पर कब्जा प्राप्त कर जरिये इकरारनामा दिनांक 01.01.2005 को खरीद कर ली। निगरानीकार ने पट्टे के लिए आवेदन किया। दिनांक 05.01.2006 को पट्टा फीस रूपये 5020/– जमा करा दी। जिस पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। वक्त खरीद से पट्टे में दर्ज भूमि पर निगरानीकार काबिज है। मकान बनाकर निवास कर रखा है। अनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा अपील पेश करने के उपरांत विकास अधिकारी ने निगरानीकार को साक्ष्य व सुनवाई को अवसर दिये बिना एवं अनिरानीकार संख्या 2 द्वारा स्थगन आदेश का प्रा0पत्र पेश किये बिना निगरानीकार की गैरमौजूदगी में आलोच्य स्थगन आदेश पारित किया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर दिनांक 23.08.2016 अपास्त फरमाया जावें।

अनिगरानीकार संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए एतराज किया है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। आदेश दिनांक 23.08.2016 सही किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अनिगरानीकार संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए एतराज किया है कि पंचायत समिति की पत्रावली में आदेशिका में दोनों ही पक्षो ने हस्ताक्षर किये हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमिहिन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये थे। जबकि निगरानीकार का पुत्र राजकीय नौकरी में है। स्वंय का मकान है। चूंकि अनिगरानीकार संख्या 2 को प्रथम बार जानकारी दिनांक 10.08.2016 को हुई थी। जानकारी के तुरंत बाद ही अनिगरानीकार संख्या 2 ने स्थाई समिति पंचायत समिति बानसूर के समक्ष अपील पेश कर दी गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। आदेश दिनांक 23.08.2016 सही किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। निगरानीकार ने मुख्य तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकार को बिना सुने आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया गया कि निगरानीकार को पट्टा दिनांक 05.01.2006 को जारी किया गया। जबकि अनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 16.08.2016 को पेश की गई। इस प्रकार अपील 10 साल से अधिक समय बाद पेश की गई। उक्त

अवधि के कण्डोन के लिये मियाद अधिनियम दफा 5 का प्रा0पत्र भी पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि स्थगन आदेश कमांक पसबा/2016/1236–37 दिनांक 23.08.2016 को जारी किया गया है। जबकि पत्रावली में प्रथम आदेशिका ही दिनांक 27.10.2016 की है। उक्त आदेशिका पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। केवल दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर है। उक्त आदेशिका के पश्चात् आदेशिका दिनांक 09.11.2016 में भी किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में आगामी दिनांक 07.12.2016 नियत की गई थी। लेकिन उक्त दिनांक पर कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। जबकि इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पत्रांक कोर्ट/2017/449 दिनांक 08.03.2017 द्वारा तलब की गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली अपने पत्रांक पसबा/संस्था/2017/272 दिनांक 14.03.2017 द्वारा इस न्यायालय में भिजवायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश कमांक पसबा/2016/1236–37 दिनांक 23.08.2016 निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पसबा/2016/1236–37 दिनांक 23.08.2016 निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)